BEFORE THE BOARD OF REVENUE,

GWALIOR M.P.

Revision No. --------- Of 2017 R- 1032-PBR-17

Applicants :-

1- Hariprasad Agrawal S/o Late Shri R.P. Agrawal R/o 63, Shriram Colony, Jhansi Road, Gwalior.

2- Mukesh Garg S/o Late Shri Rameshwar Dayal Garg, R/o 823, Silver Estate, City Centre, Gwalior (M.P.).

श्री Pallav Tripathi द्वारा आज दि. 2/3/17 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Vs.

Respondents :-

1- State of Madhya Pradesh, Through Collector Stamp, Gwalior.

2- Dharmpal Singh (dead) through L.R.

i- Smt. Ashima Syal W/o Shri Layakchandra Syal D/o Late Shri Kasim Khan Ka Bada, Dal Bazaar, Lashkar Gwalior.

3- Rajendra Syal, S/o Shri Lala Deewanchandra Syal R/o H. 24, Gandhi, Gwalior.

Revision petition under section 50 M.P. Land Revenue Code 1959, Against the order dated 09-11-2015 passed by Collector of Stamps, Gwalior M.P.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 7032–पीबीआर/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 9–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पूर्व में प्रकरण कमांक निगरानी 7067–पीबीआर/15 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिनांक 12–5–16 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश दिनांक 9–11–2015 के विरूद्ध पुनः इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किया जाना वैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान भी नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	